29. संस्थाओं आदि का प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति.— इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और लिखित रूप में करार पाई गई शर्तों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में, किसी व्यक्ति से उसमें निहित कोई सम्पत्ति प्राप्त कर सकेगी, या किसी कार्य का निष्पादन या अनुरक्षण अथवा किसी कर्त्तव्य का अनुपालन कर सकेगी :

परन्तु उपायुक्त के पूर्वानुमोदन के सिवाय, पांच हजार रूपये से अधिक का कोई भी संकर्म पंचायत को नहीं सौंपा जाएगा, या उस द्वारा इसका जिम्मा नहीं लिया जाएगा।

अध्याय—4

ग्राम पंचायत के न्यायिक कृत्य और शक्तियां

30. कुछ मामलों में पंचों द्वारा भाग लेना वर्जित.—(1) कोई भी पंच ऐसे मामले, वाद या कार्यवाही में भाग नहीं लेगा जिसमें वह स्वयं या उसका निकट सम्बन्धी नियोजित या कर्मचारी, या कारबार में भागीदार पक्षकार है या जिसमें इन में से कोई भी व्यक्तिगत तौर से हितबद्ध हों।

(2) यदि उप—धारा (1) के अधीन निरर्हित पंचों की संख्या के कारण गणपूर्ति नहीं रहती है तो पंचायत मामले या वाद को, अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, न्यायिक मजिस्ट्रेट या उप—न्यायाधीश अथवा कलक्टर को, विधि के अनुसार निपटाने के लिए भेजेगी।

स्पष्टीकरणः— "निकट सम्बन्धि" से पिता, दादा, ससुर, मामा या चाचा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, भतीजा, साला, पत्नि, बहन, बहनोई, माता, पुत्री, सास, बहू और पति अभिप्रेत हैं।

31. क्षेत्रीय अधिकारिता.—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन संस्थित प्रत्येक मामला उस सभा के क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में, उप—प्रधान के समक्ष संस्थित किया जाएगा, जिसमें ऐसा अपराध किया गया था।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या हिमाचल प्रदेश भू—अभिघृति और भू—सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) में किसी बात के होते भी, इस अधिनियम के अधीन संस्थित प्रत्येक वाद, उस ग्राम सभा के क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप—प्रधान के समक्ष संस्थित किया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किए जाने के समय प्रतिवादी या प्रतिवादियों में से कोई, जहां वे एक से अधिक हों, साधारणतया रहता हो या कारबार करता हो, चाहे वाद हेतुक कहीं भी उत्पन्न हुआ हो।

(3) हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 48 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कार्यवाही सम्बन्धित राजस्व न्यायालय द्वारा, उस स्थानीय क्षेत्र की ग्राम पंचायत को अन्तरित की

जाएगी जिसमें सम्बन्धित भूमि स्थित है और ग्राम पंचायत विहित रीति से ऐसी कार्यवाहियों का विनिश्चय करेगी :

परन्तु जहां भूमि एक से अधिक ग्राम पंचायतों के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत आती हो, वहां सम्बन्धित राजस्व न्यायालय ऐसी कार्यवाहियां उस ग्राम पंचायत को अन्तरित करेगा, जिसमें भूमि का अधिकतर भाग स्थित हो।

32. ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध.— (1) अनुसूची—III में उल्लिखित या ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय राज्य सरकार द्वारा घोषित अपराध, यदि ग्राम पंचायत की अधिकारिता में किए जाते हैं तो, ऐसे अपराधों को करने का दुष्प्रेरण और प्रयत्न, ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय होंगे।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 के अधीन भरण—पोषण के लिए आवेदन की सुनवाई और विनिश्चय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत ऐसे आवेदन पर तत्समय इस सम्बन्ध में प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पांच सौ रूपये प्रतिमास से अनधिक भरण—पोषण भत्ता मंजूर कर सकेगी।

33. शास्तियां.— ग्राम पंचायत एक सौ रूपये से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी किन्तु मुख्य दण्डादेश के रूप में या जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में, कारावास का दण्डादेश नहीं देगी।

34. न्यायालयों द्वारा संज्ञान नहीं.— कोई भी न्यायालय, ऐसे किसी मामले या वाद अथवा कार्यवाहियों का जो इस अधिनियम के अधीन उस क्षेत्र के लिए स्थापित ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञय है, जिससे मामला, वाद या कार्यवाही संबंधित है, तब तक संज्ञान नहीं करेगा जब कि धारा 67 के अधीन आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है।

35. कुछ मामलों में दाण्डिक कार्यवाहियों का ग्राम पंचायत को अन्तरण.— यदि, मजिस्ट्रेट के समक्ष दाण्डिक मामले में लम्बित कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि मामला ग्राम पंचायत द्वारा विचारणीय है, तो वह मामले को तुरन्त उस ग्राम पंचायत को अन्तरित करेगा जो मामले पर नए सिरे से सुनवाई करेगी।

36. परिवाद का संक्षिप्त निपटारा.— ग्राम पंचायत किसी परिवाद को खारिज कर सकेगी, यदि परिवादी का परीक्षण करने और ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात्, जो वह पेश करे, इसका समाधान हो जाता है कि परिवाद तुच्छ, तंग करने वाला या असत्य है।

37. परिवाद को वापिस करना.— यदि, किसी समय ग्राम पंचायत को यह प्रतीत होता है कि:—

(क) उसे उसके समक्ष किसी मामले पर विचारण करने की अधिकारिता नहीं है ; या

(ख) अपराध ऐसा है जिसके लिए वह पर्याप्त दण्ड अधिनिर्णीत नहीं कर सकती है ; या

(ग) कि मामला ऐसे स्वरूप का या इतना जटिल है कि उस पर विचारण किसी नियमित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो वह उस परिवादी को, इसे ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करने का निर्देश देते हुए जिसे ऐसे मामले पर विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त हो, परिवाद वापिस करेगी।

38. ग्राम पंचायत द्वारा कुछ व्यक्तियों का परीक्षण न किया जाना.– कोई भी ग्राम पंचायत किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगी जहां अभियुक्त कोः–

(क) तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष ठहराया गया हो ; या

(ख) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 379 के अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा पहले ही जुर्माना किया गया है या उक्त धारा के अधीन पहले ही न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डादेष किया गया है ; या

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 109 या 110 के अधीन सदाचार के लिए बन्धित किया गया है ; या

(घ) जुए के लिए पहले ही सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ड.) सरकारी सेवक है और वह कृत्य जिसके बारे में परिवाद किया गया है, उसकी पदीय हैसियत में किया गया है।

39. अभियुक्त को प्रतिकर.– यदि जांच के पश्चात् ग्राम पंचायत का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लाया गया मामला झूठा, तुच्छ या तंग करने वाला था तो, वह परिवादी को, ऐसा प्रतिकर जो दो सौ रूपये से अधिक नहीं होगा, जितना वह उचित समझे, अभियुक्त को देने के लिए आदेश दे सकेगी।

40. मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए मामलों की जांच.– मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 202 के अधीन, ग्राम पंचायत को, किसी भी मामले में जिसमें अपराध ऐसी ग्राम पंचायत की क्षेत्रीय अधिकारिता में किया गया हो, जांच करने का आदेश दे सकेगा और ग्राम पंचायत मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट उक्त मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी।

41. अधिकारिता का विस्तार.– (1) गाम पंचायत की अधिकारिता का विस्तारण निम्नलिखित प्रकार के किसी भी वाद पर होगा, यदि इसका मूल्य दो हजार रूपये से अधिक नहीं हैः–

(क) स्थावर सम्पत्ति की बाबत संविदा से भिन्न, संविदा पर देय धन के लिए वाद ;

(ख) जंगम सम्पत्ति या उसके मूल्य की वसूली के लिए वाद ;

(ग) किसी जंगम सम्पत्ति को दोषपूर्वक अधिपत्य में लेने या हानि पहुंचाने पर प्रतिकर के लिए वाद;

(घ) पशुओं के अतिचार द्वारा की गई क्षति के लिए वाद ; और

(ड.) हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भू–सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) की धारा 58 की उप–धारा (3) के खण्ड (घ) और (झ) के अधीन वाद।

(2) उप–धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उप–धारा (1) में उल्लिखित किसी या सभी प्रकार के वादों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की धन सम्बन्धी अधिकारिता का, पांच हजार रूपये तक विस्तार कर सकेगी।

42. पक्षकारों के करार द्वारा अधिकारिता का विस्तारण.– वाद के पक्षकार, लिखित करार द्वारा,धारा 59 में उल्लिखित स्वरूप के किसी वाद को विनिश्चय के लिए ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट कर सकेंगे और ग्राम पंचायत विहित नियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन ऐसे वाद का अवधारण और निपटारा करेगी।

43. एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत को मामले के अन्तरण के लिए आवेदन.– (1) इस अध्याय में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि ग्राम पंचायत के समक्ष किसी दाण्डिक मामले या सिविल अथवा राजस्व वाद में कोई पक्षकार, अन्तिम आदेश या डिक्री सुनाने से पूर्व किसी स्तर पर, यह सूचित करता है कि वह इस धारा के अधीन, यथास्थिति न्याययिक मजिस्ट्रेट या उप–न्यायाधीश अथवा कलक्टर को मामले या वाद के अन्तरण के लिए आवेदन पेश करने का आशय रखता है, तो ग्राम पंचायत आवेदक को, युक्तियुक्त समय के भीतर, जो पंचायत द्वारा नियत किया जाएगा, किन्तु जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा, ऐसा आवेदन करने का निर्देश देगी और मामले, वाद या कार्यवाहियों को ऐसी अवधि के लिए स्थगित करेगी जिससे आवेदन को पेश करने और उस पर आदेश अभिप्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, ग्राम पंचायत से उसी पक्षकार की दूसरी या पश्चात्वर्ती सूचना पर मामले, वाद या कार्यवाही को स्थगित करने की अपेक्षा नहीं करेगी।

(2) यथास्थिति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, या उप–न्यायाधीश अथवा कलक्टर, ऐसे आवेदन पर कारणों को लेखबद्ध करते हुए मामले, वाद या कार्यवाही को अपनी अधिकारिता के भीतर अन्य ग्राम पंचायत को अन्तरित कर सकेगी जो, यथास्थिति, मामले, वाद या कार्यवाही पर, विचारण या सुनवाई करेगी।

44. ग्राम पंचायत की अधिकारिता का अपवर्जन.— ग्राम पंचायत को निम्नलिखित में से किसी भी वाद का संज्ञान करने की अधिकारिता नहीं होगीः—

(क) भागीदारी लेखे की बाकी के लिए वाद ;

(ख) निर्वसीयतता के अधीन शेयर या शेयर के भाग अथवा विल के अधीन वसीयत सम्पदा या वसीयत सम्पदा के भाग के लिए वाद ;

(ग) सरकार या लोक सेवक द्वारा या उसके विरूद्ध उसकी पदीय हैसियत में किए गए कृत्यों के लिए वाद ; और

(घ) किसी अवयस्क या विकृतचित व्यक्ति द्वारा या उसके विरूद्ध वाद ।

45. वाद में सम्पूर्ण दावे का सम्मिलित किया जाना.—(1) ग्राम पंचायत के समक्ष संस्थित प्रत्येक वाद में, विवादग्रस्त विषय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दावा, जिसका वादी हकदार है, शामिल किया जाएगा, किन्तु वाद को ग्राम पंचायत की अधिकारिता में लाने के लिए वह अपने दावे का कोई भाग त्याग सकेगा।

(2) यदि वादी किसी दावे के भाग के बारे में दावा नहीं करता है या उसका कोई भाग छोड़ देता है, तो वह इस प्रकार लोप किए गए या छोड़े गए भाग के बारे में तत्पश्चात् दावा नहीं करेगा।

46. परिसीमा.— ग्राम पंचायत के समक्ष अनुसूची—4 में उसके लिए विहित परिसीमा की अवधि के पश्चात् संस्थित प्रत्येक वाद, खारिज कर दिया जाएगा, चाहे बचाव के लिए परिसीमा का सहारा न भी लिया गया हो :

परन्तु किसी वाद के लिए विहित परिसीमा कालावधि की संगणना करते समय, वह अवधि जिसके दौरान वादी ने किसी न्यायलय में सम्यक् तत्परता के साथ प्रतिवादी के विरुद्ध वाद का अभियोजन किया है, अपवर्जित की जाएगी, जहां ऐसी वाद उसी वाद हेतुक पर आधारित है और सद्भावपूर्वक ऐसे न्यायलय में अभियोजित किया था जो अधिकारिता के व्यतिक्रम में या इसी स्वरूप के अन्य कारण से इसे ग्रहण करने में असमर्थ था।

47. ग्राम पंचायत के विनिश्चय का प्रभाव.— ग्राम पंचायत का हक, विधिक स्वरूप, संविदा, या बाध्यता के प्रश्न पर विनिश्चय, पक्षकारों पर आबद्धकर नहीं होगा, सिवाय उस वाद के बारे में जिसमें ऐसे विषय का विनिश्चय किया जाए।

48. हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम की धारा 46 के अधीन कार्यवाही.— **(1)** संबद्ध राजस्व न्यायालय, अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत को, यदि कोई हो, हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 46 के अधीन समस्त आवेदन हस्तांतरित करेगी, यदि अपेक्षित राहत उस

विधिपूर्ण अधिभोगी को कब्जा वापस दिलाया जाना है जिसे संबद्ध भू–राजस्व, न्यायालय के कार्यालय में आवदेन दाखिल करने की तारीख से पूर्वतन तीन मास की कालावधि के भीतर, भू–सम्पत्ति से दोषपूर्वक बे कबजा किया गया है :

परन्तु संबद्ध राजस्व न्यायालय, पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किए जाऐंगे, ऐसे किसी आवदेन को उप–मण्डल अधिकारी को भेज सकेगा जो यह विनिश्चय करेगा कि आवेदन पंचायत को हस्तांतरित किया जाना चाहिए या नहीं।

(2) राजस्व अधिकारी, उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन किसी कार्यवाही में तथ्य के प्रश्न पर ग्राम पंचायत से रिपोर्ट मंगवा सकेगा।

49. राजस्व कार्यवाहियों में प्रक्रिया.– हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन कार्यवाहियों में ग्राम पंचायत, विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

50. पूर्व न्याय .– कोई भी ग्राम पंचायत किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में किसी वाद, कार्यवाही या विवाधक का विचारण नहीं करेगी जो विनिश्चय के लिए किसी पूर्ववर्ती वाद में उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करता है, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष लम्बित है या जिसकी सुनवाई की जा चुकी है अथवा विनिश्चय कर लिया गया है।

51. दोहरा जोखिम .– जहां किसी अपराध के बारे में किसी न्यायालय में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला लम्बित है या जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए विचारण किया जा चुका है वहां कोई भी ग्राम पंचायत, किसी भी ऐसे अपराध या उन्ही तथ्यों पर आधारित किसी ऐसे अन्य अपराध का जिसका अभियुक्त पर आरोप लगाया है या उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, संज्ञान नहीं करेगी।

52. संमवर्ती अधिकारिता.– जहां कोई मामला, वाद कार्यवाही एक से अधिक ग्राम पंचायतों में चलाने योग्य हो, वहां यथास्थिति, वादी या परिवादी अथवा आवेदक मामले, वाद या कार्यवाही को ऐसी ग्राम पंचायतों में से किसी एक में प्रस्तुत कर सकेगा। अधिकारिता के बारे में कोई विवाद, अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, या उप–न्यायाधीश अथवा कलक्टर द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

53. वादों और मामलों का संस्थित किया जाना .– (1) कोई भी व्यक्ति, ग्राम पंचायत के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप–प्रधान को मौखिक या लिखित आवेदन द्वारा कोई मामला या वाद ग्राम पंचायत के समक्ष संस्थित कर सकेगा और उसी समय विहित फीस भी संदत्त करेगा। हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) ग्राम पंचायत को लागू नहीं होगा, सिवाय उसके जो विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक वाद में वादी, उसके मूल्य का विवरण देगा।

54. परिवादों और आवेदनों के सार का लेखबद्ध किया जाना और न्यायपीठों की नियुक्ति .– (1) जहां कोई मामला, वाद या कार्यवाही मौखिक तौर पर संस्थित की जाती है, वहां परिवाद या आवेदन प्राप्त करने वाला प्रधान या उप–प्रधान अविलम्ब विहित विशिष्टियों को लेखबद्ध करेगा और उस पर परिवादी या आवेदक के हस्ताक्षर करवाएगा या अंगूठे का चिन्ह लगवाएगा।

(2) यथास्थिति, प्रधान या उसकी अनुपस्थित में उप–प्रधान उप–धारा (1) के अधीन परिवाद या आवेदन का रजिस्टर में सार लेखबद्ध करने पर, या सम्बद्ध राजस्व न्यायालय के निर्देश पर, तीन पंचों से गठित ग्राम पंचायत का न्यायपीठ नियुक्त करेगा और उक्त परिवाद या आवेदन को, निपटाने के लिए उस न्यायपीठ को निर्दिष्ट करेगा और उक्त न्यायपीठ के समक्ष परिवाद या आवेदन की पहली सुनवाई की तारीख भी नियत करेगा और तथाकथित तारीख की सूचना परिवादी, आवेदक और न्यायपीठ के पंचों को देगा :

परन्तु कोई भी पंच जो ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए उस वार्ड में ग्राम सभा का सदस्य है जिस वार्ड में, यथास्थिति, मामले के घटित होने का स्थान स्थित है या जिस वार्ड में वाद के लिए वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, न्यायपीठ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(3) वाद, मामले या कार्यवाही की पहली सुनवाई के लिए नियत तारीख को, उप–धारा (2) के अधीन, गठित न्यायपीठ, यदि प्रधान या उप–प्रधान इसका सदस्य नहीं है, एक पंच को कार्यवाही के संचालन के लिए उस न्यायपीठ का अध्यक्ष चुनेगा और यथास्थिति, वाद, मामले या कार्यवाहियों को विहित रीति में आरम्भ करेगा और उसकी सुनवाई करेगा।

(4) न्यायिक कृत्यों के प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत के अन्तर्गत उसका एक न्यायपीठ भी होगा।

55. वादों और मामलों में पक्षकारों की अनुपस्थिति.– (1) यदि वादी, परिवादी या आवेदक, सुनवाई के लिए नियत समय और स्थान के सूचित किए जाने के पश्चात, हाजिर होने में असफल रहता है तो, ग्राम पंचायत वाद, मामले या कार्यवाही को खारिज कर सकेगी या ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।

(2) ग्राम पंचायत, प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार की अनुपस्थिति में वाद या कार्यवाही की सुनवाई कर सकेगी और उस पर विनिश्चिय कर सकेगी, यदि उस पर समन की तामील कर दी गई हो या यदि उसे सुनवाई के लिए नियत किए गए स्थान और समय की सूचना दे दी गई हो।

56. ग्राम पंचायत अपने विनिश्चय को पुनरीक्षित या परिवर्तित नहीं करेगी.– (1) उप–धारा (2) में यथा उपबंधित या लेखन भूल को सही करने के सिवाय, ग्राम पंचायत को, उस द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश को रदद्, पुनरीक्षित या उसमें कोई परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी।

(2) डिक्री या आदेश पारित किए जाने या उसकी जानकारी की तारीख से एक मास के भीतर आवेदन करने पर, यदि समन की व्यक्तिगत तामील न हुई हो, तो ग्राम पंचायत पर्याप्त कारणों पर जो लेखबद्ध किए जाऐंगे, किसी वाद या कार्यवाही को जो व्यतिक्रम में खारिज कर दी गई हो, प्रत्यावर्तित कर सकेगी या एकतरफा डिक्री या पारित आदेश को उपास्त कर सकेगी।

57. किसी भी विधि व्यवसायी का हाजिर न होना.– कोई विधि व्यवसायी किसी वाद, मामले या कार्यवाही में किसी भी पक्षकार की ओर से ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर, पैरवी या कार्य नहीं करेगा।

58. व्यक्तिगत रूप में या प्रतिनिधि के द्वारा हाजरी.– धारा 57 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी वाद, मामले या कार्यवाही का कोई पक्षकार, ग्राम पंचायत के समक्ष या तो व्यक्तिगत तौर पर या उस द्वारा प्राधिकृत और ग्राम पंचायत द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञात सेवक (जो दलाल या याचिका लेखक न हो), भागीदार या रिश्तेदार द्वारा हाजिर हो सकेगा।

59. समझौता.– (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम पंचायत, उसकी स्थानीय क्षेत्र में, उत्पन्न होने वाले किसी सिविल या राजस्व विवाद का जो किसी न्यायालय में लम्बित न हो, पक्षकारों द्वारा स्वीकृत किसी निपटारे या समझौते या शपथ के अनुसार विनिश्चय कर सकेगी और इसी प्रकार किसी ऐसे मामले का जो शमनीय हो, विनिश्चय कर सकेगी।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, उप–धारा (1) के अधीन इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग, ऐसे वादों, मामलों या कार्यवाहियों के बारे में करेगी जिनके संदर्भ में, इसे विनिश्चय करने की शक्ति है।

60. सच्चाई अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया और शक्ति.– (1) ग्राम पंचायत, किसी वाद, मामले या कार्यवाही में ऐसे साक्ष्य लेगी जैसे पक्षकार पेश करे और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकेगी जो उसकी राय में, विवाद या विवाद प्रश्नों के अवधारण के लिए आवश्यक हों।

(2) ग्राम पंचायत उस गांव में, जिससे विवाद संबंधित है, स्थानीय अन्वेषण कर सकेगी।

(3) ग्रम पंचायत के समक्ष लाए गए प्रत्येक वाद, मामले या कार्यवाही के तथ्यों को अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक विधिपूर्ण साधन द्वारा अभिनिश्चित करना और उसके पश्चात् लागत सहित या रहित ऐसी डिक्री या आदेश करना जो यह न्यायसंगत और विधिपूर्ण समझे, इसका कर्तव्य होगा।

(4) ग्राम पंचायत इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

(1974 का 2) और भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36), ग्राम पंचायत के समक्ष किसी वाद, मामले या कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे, सिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में उपबन्धित है या जो विहित किया जाए।

61. बहुमत का अभिभावी होना.– किसी अपराधिक मामले, वाद या कार्यवाही का विनिश्चय करते समय पंचो के बीच मतभेद की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी।

62. वादों आदि का खारिज किया जाना.– ग्राम पंचायत किसी वाद या कार्यवाही को खारिज कर सकेगी, यदि वादी या आवेदक का परीक्षण करने के पश्चात् इसका समाधान हो जाता है कि वाद या मामला तुच्छ, तंग करने वाला या असत्य है।

63. प्रतिवादी या अभियुक्त को समन.– ग्राम पंचायत, धारा 53 के अधीन किए गए आवेदन के पश्चात्, यदि उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन खारिज या अन्यथा निपटाया न गया हो, विहित रीति से, विहित प्ररूप में प्रतिवादी या अभियुक्त अथवा विरोधी पक्षकार पर समन तामील करवाएगी जिसमें उससे ऐसे समय और स्थान पर जैसा कि समन में वर्णित हो, हाजिर होने और अपना साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जाएगी और उसी समय वादी या परिवादी अथवा आवेदक को उक्त समय या स्थान पर हाजिर होने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देगी।

64. अभियुक्त का हाजिर होने में असफल रहना.–(1) यदि अभियुक्त हाजिर होने में असफल रहता है या उसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ग्राम पंचायत निकटतम मैजिस्ट्रेट को इस तथ्य की रिपोर्ट देगी।

(2) मैजिस्ट्रेट उप–धारा (7) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर अभियुक्त की गिरफतारी के वारंट जारी करेगा और वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा निर्देश देगा कि यदि ऐसा व्यक्ति उसके समक्ष अपनी हाजरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियों सहित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 71 द्वारा उपबन्धित रीति से बन्ध पत्र निष्पादित कर देता है तो उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जाएगा।

(3) जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है तो वह उसे, ग्राम पंचायत, प्रधान या उप–प्रधान अथवा किसी पंच के समक्ष ऐसी तारीख को हाजिर होने के लिए, जिसे वह निर्दिष्ट करें, प्रतिभू सहित या रहित बन्धपत्र निष्पादित करने और तत्पश्चात् ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर होते रहने का निर्देश देगा जैसाकि ऐसे व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

(4) ऐसा बन्धपत्र निष्पादित करने में असफल रहने पर मजिस्ट्रेट यह आदेश करेगा कि अभियुक्त को उप–धारा (3) में उल्लिखित व्यक्ति या ग्राम पंचायत के समक्ष पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसी तारीख को, जैसी वह निर्दिष्ट करें, अभिरक्षा में पेश किया जाएगा।

(5) यदि अभियुक्त उप–धारा (3) के अधीन बन्धपत्र निष्पादित करने के पश्चात्, ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर होने में सफल रहता है तो, ग्राम पंचायत इस तथ्य की रिपोर्ट उस मैजिस्ट्रेट को देगी जिसके समक्ष बन्धपत्र निष्पादित किया गया था, और ऐसा मैजिस्ट्रेट दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 33 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

65. साक्षियों को समन जारी करना.– ग्राम पंचायत के विचार में यदि किसी वाद, मामले या कार्यवाही में किसी व्यक्ति की गवाही या उस द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो तो वह ऐसे व्यक्ति को हाजिर होने या दस्तावेज प्रस्तुत करने या करवाने के लिए विवश करने के लिए, विहित रीति से समन जारी कर सकेगी और उसकी तामील करवा सकेगी और ऐसा व्यक्ति समन में दिए गए निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

66. ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर होने में असफल रहने के लिए शास्तियां.– यदि कोई व्यक्ति जिसे ग्राम पंचायत द्वारा लिखित आदेश द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने, साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया गया हो, ऐसे समन या नोटिस अथवा आदेश की जानबूझ कर अवज्ञा करता है तो ग्राम पंचायत अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास परिवाद कर सकेगी और तथाकथित व्यक्ति जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पच्चीस रूपये तक का हो सकेगा :

परन्तु किसी भी महिला को ग्राम पंचायत के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। उसका परीक्षण कमीशन द्वारा विहित रीति से किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि यदि इस धारा के अधीन जारी किए गए समन के आज्ञानुवर्तन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो ग्राम पंचायत उसकी प्रति करवाएगी और मौलिक दस्तावेज से मिलान करने के पश्चात् प्रति पर यह लिख देगी कि वह मौलिक दस्तावेज की शुद्ध प्रति है और मौलिक दस्तावेज उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को वापस कर देगी।

67. अपील.– ग्राम पंचायत के न्यायपीठ के आदेश या डिक्री से व्यथित, कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या डिक्री की तारीख से तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, किसी भी वाद या मामले में, न्यायिक मजिस्ट्रेट/उप–न्यायधीश को और हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन किसी कार्यवाही के बारे में संबंधित कलक्टर को, अपील कर सकेगा।

68. ग्राम पंचायत की डिक्री या आदेश की अन्तिमता.– इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाद, मामले या कार्यवाही से पारित डिक्री या आदेश, धारा 67 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

69. तुच्छ अपीलें.— यदि धारा 67 के अधीन कोई आवेदन तुच्छ हो, तो अपीलार्थी को, यथास्थिति, सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट, उप–न्यायाधीश या कलक्टर द्वारा पचास रूपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा।

70. डिक्री के संदाय या समायोजन का लेखबद्ध किया जाना.— यदि डिक्रीदार या निर्णीत ऋणी के आवेदन पर जांच करने के पश्चात् डिक्री पारित करने वाली ग्राम पंचायत यह निष्कर्ष निकालती है कि डिक्री पूर्णतया या अंशतः तुष्ट की जा चुकी है, तो ग्राम पंचायत इस तथ्य को विहित रजिस्टर में लेखबद्ध करेगी।

71. डिक्रियों का निष्पादन.— (1) ग्राम पंचायत द्वारा पारित डिक्री या आदेश का ऐसी रीति में निष्पादन किया जाएगा, जो विहित की जाए। यदि प्रतिवादी [1]{या प्रत्यर्थी, यथास्थिति,} की सम्पत्ति, आदेश या डिक्री पारित करने वाली ग्राम पंचायत की अधिकारिता के बाहर हो, तो वह डिक्री या आदेश को विहित रीति में, निष्पादन के लिए उस ग्राम पंचायत को, जिसकी अधिकारिता में सम्पत्ति स्थित हो, और यदि ऐसी ग्राम पंचायत न हो, तो उस उप–न्यायाधीश [2]{या न्यायिक मजिस्ट्रेट} को, जिसकी अधिकारिता में सम्पत्ति स्थित हो, अन्तरित कर सकेगी और, यथास्थिति, उक्त ग्राम पंचायत या उप–न्यायाधीश [3]{या न्यायिक मजिस्ट्रेट} डिक्री या आदेश का निष्पादन करेगा मानो यह इस या उस द्वारा पारित डिक्री या आदेश हो।

[4]{(2) यदि ग्राम पंचायत को किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कोई कठिनाई आती है तो वह उसे सम्बन्धित उप–न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकेगी और, यथास्थिति, उप–न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट डिक्री या आदेश को ऐसे निष्पादित करेगा मानों कि वह उस द्वारा पारित डिक्री या आदेश था।}

(3) हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन आदेश, यथा संभव, निष्पादित किया जाएगा, जैसा कि उप–धारा (1) और (2) में उपबंधित है। उप–धारा (2) को ऐसे पढ़ा जाएगा और इसका ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो कि "उप–न्यायाधीश" शब्दों के स्थान पर "सम्बद्ध कलक्टर" शब्द रखे गए हो।

72. जुर्माने की वसूली.— किसी मामले में ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित जुर्माना, विहित रीति से बसूल किया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत को वसूली करने में कोई कठिनाई आती है तो यह उस न्यायिक मजिस्ट्रेट से वसूली के लिए अनुरोध कर सकेगी जिस की अधिकारिता में ग्राम पंचायत

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 10) द्वारा जोड़े गए।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 10) द्वारा जोड़े गए।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 10) द्वारा जोड़े गए।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 10) द्वारा उप–धारा (2) प्रतिस्थापित की गई।

स्थित है और वह इसे ऐसे बसूल करेगा मानो कि जुर्माने का दण्डादेश उस द्वारा पारित किया गया हो।

73. ग्राम पंचायत को संरक्षण.— ग्राम पंचायत के सदस्यों पर, इस द्वारा या उन द्वारा न्यायिक हैसियत में किए गए कृत्यों के बारे में न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 (1850 का 18) के उपबन्ध लागू होंगे।

74. ग्राम पंचायतों के प्रति पुलिस के कर्त्तव्य.— प्रत्येक पुलिस अधिकारी, उसकी जानकारी में आने वाले अपराध की विहित रीति से उस ग्राम पंचायत को, जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया हो और जो ग्राम पंचायत द्वारा विचारणीय है तत्काल सूचना देगा और ग्राम पंचायत के सभी पंचों और सेवकों को उनके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में सहायता करेगा।

75. फीस और जुर्माने आदि के आगम.— ग्राम पंचायत द्वारा विचार किए गए निपटाए गए किसी मामले, वाद या कार्यवाही में न्यायालय फीस के तौर पर या जुर्माने के तौर पर उद्गृहीत सारी राशि राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से ग्राम पंचायत को सौपी जाएगी।

76. ग्राम पंचायत द्वारा दोषसिद्धि का पूर्वदोषसिद्धि न होना.— ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी दोषसिद्धि, भारतीय दण्ड संहिता, 1860(1860 का 45) की धारा 75 या दण्ड प्रक्रिया संक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) की धारा 356 या 360 के प्रयोजन के लिए पूर्व दोषसिद्धि नहीं मानी जाएगी।

अध्याय–5

पंचायत समिति

77. पंचायत समिति की स्थापना.— प्रत्येक खण्ड के लिए एक पंचायत समिति होगी जिसकी अधिकारिता, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, खण्ड के ऐसे भाग को अपवर्जित करके जो तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगरपालिका में शामिल किया गया है, पूर्ण खण्ड पर होगीः

[1]{××××××××××××××××××××××××××}

78. पंचायत समिति का गठन.— (1) प्रत्येक पंचायत समिति का गठन निम्नलिखित से होगाः—

(क) इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित प्रादेशिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य;

(ख) उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्य जिसमें पंचायत समिति पूर्णतः या अंशतः समाविष्ट है ;

---

[1]. हिमाचल पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम,1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा उप–धारा (2) का लोप किया गया ।